



□□□□□,- हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 44 की जांच से पता चलता है कि आयुक्त उन मामलों में धनवापसी रोकने का आदेश दे सकते हैं जहां धनवापसी के अनुदान का वसूली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या तो अपील लंबित होने के दौरान या अधिनियम के तहत किसी अन्य कार्यवाही के दौरान। आयुक्त द्वारा 28 अप्रैल, 2006 को जारी किए गए विवादित निर्णय की जांच करने से पता चलता है कि उसने 4,32,21,206 रुपये के रिफंड को रोकने के लिए एक आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि रिफंड की अनुमति देने से भविष्य में उपरोक्त राशि की वसूली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आयुक्त कोई कारण दर्ज करने में विफल रहे हैं कि वसूली कैसे प्रभावित होने की संभावना है। आदेश पूरी तरह से संक्षिप्त है क्योंकि यह कोई कारण नहीं बताता है। आयुक्त द्वारा उपरोक्त संतुष्टि का आधार बनाने वाली सामग्री की एक फुसफुसाहट भी नहीं है। विवादित आदेश कानून की नजर में पूरी तरह से अस्थिर है और इस प्रकार इसे दरकिनार किया जा सकता है।

(□□□□ 6 & 7)

इसके अलावा, यह भी कहा गया कि करोड़ों की भारी राशि के रिफंड को रोकने का आदेश यांत्रिक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए और अधिनियम के तहत काम करने वाले अधिकारियों को यह संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है कि जिन उद्यमियों के पास सीमित संपत्ति है, उन्हें अपने व्यावसायिक उद्यम में नुकसान होने की अधिक संभावना है। यदि व्यावसायिक उद्यम स्थिर हो जाता है तो यह राजस्व के हित को आगे नहीं बढ़ाता है क्योंकि जब एक उद्यमी का व्यवसाय आधा हो जाता है तो राज्य राजस्व अर्जित करना बंद कर देगा। यदि उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखा जाए तो राज्य के अधिकारियों को बेहतर सलाह दी जाएगी। धनवापसी रोकने का आदेश पारित करते समय एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

(□□□□ 10)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि के भुगतान को माफ करने और निर्धारित राशि जमा करने की आवश्यकता का पालन किए बिना अपील की सुनवाई करने के लिए अपने आवेदन में "सोसायटी" द्वारा लिए गए रुख का हवाला

देते हुए तर्क हमारे लिए अप्रभावशाली था क्योंकि, सबसे पहले, उपरोक्त कारण 28 अप्रैल, 2006 के विवादित आदेश की नींव नहीं बनाते हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि आदेश को केवल आदेश में निर्दिष्ट औचित्य के आधार पर ही उचित ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, 'सोसायटी' द्वारा किए गए वित्तीय कठोरता के उपरोक्त दावे को अपीलीय प्राधिकरण या न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। यहां तक कि इस अदालत ने भी वित्तीय सख्ती का अनुरोध करते हुए उनके दावे को खारिज कर दिया है। इसलिए, हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उठाया गया तर्क पूरी तरह से असमर्थनीय है और हमें इसे अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है।

(□□□□ 11)

□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□□□ के लिए वकील

□□□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□  
□□□□□□□□□□.

□□.□□. □□□□□□, □□.

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर तत्काल याचिका में हरियाणा के आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा 28 अप्रैल, 2006 को पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है, जिसके तहत उन्होंने याचिकाकर्ता को देय Rs.4,32,21,206 के रिफंड को रोकने की मंजूरी दी है।

(2) इस मामले में याचिकाकर्ता एक सहकारी समिति है ("समिति"). 2006-07 और 2007-08 के वित्तीय वर्षों के लिए इसका कारोबार क्रमश 638137.68 लाख रुपये और 470665.00 लाख रुपये था। वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक पी. 9 में दस साल की अवधि के दौरान कारोबार के विवरण की समीक्षा की गई है। 27 फरवरी, 2004 को "समिति" से संबंधित वर्ष 2002-2003 के लिए मूल्यांकन का समापन किया गया था। इसके बाद आकलन प्राधिकरण ने हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत 1,49,69,527 रुपये और केंद्रीय बिक्री अधिनियम, 1956 के तहत 2,82,51,680 रुपये की अतिरिक्त मांग की। आर. डी. बिक्री, या पंजीकृत विक्रेताओं को बिक्री की अस्वीकृति के साथ-साथ सकल कारोबार में कुछ वृद्धि के कारण मांग उत्पन्न हुई।

प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने 28 जुलाई, 2005 को मूल्यांकन आदेश को रद्द करके अपील को स्वीकार कर लिया और मामले को तीन महीने के भीतर निपटाने के निर्देश के साथ निर्धारण प्राधिकरण को वापस भेज दिया। 29 नवंबर, 2005 को 'सोसायटी' ने जमा की गई राशि की वापसी के लिए आवेदन किया। वे रिमांड कार्यवाही में विभिन्न तिथियों पर भी पेश हुए और विभिन्न घोषणा पत्र और दस्तावेज आदि प्रस्तुत किए। हालांकि, अभी भी कार्यवाही जारी है। उन्होंने 8 फरवरी, 2006 को रिफंड के लिए एक रिमाइंडर जारी किया। 13 दिसंबर, 2006 को आबकारी और कराधान अधिकारी ने सोसायटी को सूचित किया कि उसका रिफंड रोक दिया गया है, लेकिन कोई आदेश नहीं दिया गया है। हालांकि, आदेश की एक प्रति याचिकाकर्ता को 27 अक्टूबर, 2008 को प्रदान की गई थी।

(3) प्रस्ताव के नोटिस के जवाब में, प्रतिवादियों ने जवाब दाखिल कर दिया है। धनवापसी के अनुरोध का विरोध इस आधार पर किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपील के साथ दायर निर्धारित राशि के भुगतान से छूट के लिए अपने आवेदन में वित्तीय कठोरता का अनुरोध किया था। यह दावा किया गया है कि आवेदक वित्तीय समस्या का सामना कर रहा था और हाथ में नकदी याचिकाकर्ता के दिन-प्रतिदिन के काम को पूरा करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त थी। उस आधार पर, याचिकाकर्ता ने मूल्यांकन की राशि जमा किए बिना अपील पर विचार करने का अनुरोध किया था। इस आवेदन को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 18 मार्च, 2004 को खारिज कर दिया गया था, जिसे हरियाणा बिक्री कर न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी (संक्षिप्तता के लिए, 'न्यायाधिकरण') न्यायाधिकरण ने 12 मई, 2004 के अपने आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को आठ समान मासिक किश्तें जमा करके राशि का भुगतान करने की अनुमति दी। पहली किश्त का भुगतान 30 जून, 2004 को या उससे पहले किया जाना था। 'अधिकरण' के आदेश को 'सोसायटी' द्वारा इस न्यायालय के समक्ष 2004 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 8887 और 2004 के 8888 में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति को बेहद अनिश्चित बताया गया था। 9 सितंबर, 2004 को रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं। यहां तक कि किश्तों का भुगतान भी याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित समय के अनुसार नहीं किया गया था।

(4) यह ध्यान देने योग्य है कि 28 अप्रैल, 2006 के आक्षेपित आदेश में ऐसे किसी भी कारण को दर्ज नहीं किया गया है जिसका अब लिखित बयान में अनुरोध किया गया है। आक्षेपित आदेश को पढ़ना लाभदायक होगा, जो निम्नानुसार है - :

" जबकि मेसर्स नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अंबाला पर चार करोड़ बत्तीस लाख इक्कीस हजार दो सौ छह रुपये की राशि का रिफंड देय है।

और जबकि हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत कार्यवाही अभी भी डीलर के खिलाफ लंबित है।

और जबकि यह प्रमाणित किया गया है कि यदि धनवापसी की अनुमति दी जाती है तो इस राशि की वसूली बाद में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

अब, इसलिए, मैं, H.S. राणा I.A.S., आबकारी और कराधान आयुक्त, हरियाणा चंडीगढ़ ने हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 44 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इसके द्वारा केवल मेसर्स नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अंबाला के कारण चार करोड़ बत्तीस लाख इक्कीस हजार दो सौ छह रुपये के रिफंड को रोकने की मंजूरी दी है।"

(5) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। प्राथमिक प्रश्न जिसके निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या दिनांक 28 अप्रैल, 2006 (आर 8) का आक्षेपित आदेश विधि की अपेक्षाओं के अनुरूप है। उपर्युक्त मुद्दे को निर्धारित करने के लिए अधिनियम की धारा 44 के प्रावधानों को संदर्भित करना आवश्यक होगा, जो इस प्रकार है:

"44. [REDACTED] — (1) [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED],  
[REDACTED] 3 [REDACTED] [REDACTED] (1) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

□□□□□ □□ □□□□□. □□□□□□ □□□□□□  
□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□.

(□) □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□  
□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□  
□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□  
□□□□ 43 □□ □□□ □□□□□."

(6) उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि अधिनियम के तहत लंबित अपील या किसी अन्य कार्यवाही के दौरान, आयुक्त यह राय दर्ज करके धनवापसी रोकने का आदेश दे सकता है कि धनवापसी के अनुदान से वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(7) 28 अप्रैल, 2006 के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उसने यह कहते हुए धनवापसी रोकने की मंजूरी दर्ज की है कि यदि धनवापसी की अनुमति दी जाती है तो उपरोक्त राशि की वसूली बाद में प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। आयुक्त कोई कारण दर्ज करने में विफल रहे हैं कि वसूली कैसे प्रभावित होने की संभावना है। आदेश पूरी तरह से संक्षिप्त है क्योंकि यह कोई कारण नहीं बताता है। आयुक्त द्वारा उपरोक्त संतुष्टि का आधार बनाने वाली सामग्री की एक फुसफुसाहट भी नहीं है। विवादित आदेश कानून की नजर में पूरी तरह से अस्थिर है और इस प्रकार इसे दरकिनार किया जा सकता है।

(8) हमारा यह भी मत है कि 'सोसाइटी' ने याचिका के पैरा 12 में स्पष्ट अभिकथन करते हुए कहा कि वर्ष 2006-07 के लिए उनका कुल परिव्यय 638137.68 लाख रुपये था। यह भी कहा गया है कि वर्ष 2007-08 के लिए कारोबार 470665.00 लाख रुपये है। पिछले दस वर्षों का कुल कारोबार दिया गया है, जिसे निम्नलिखित तालिका में पुनः प्रस्तुत किया गया है: —

□□□□□□□□ पिछले दस वर्षों में

□□□	□□□ □□□□□□□□
1998-1999	0
1999-2000	
2000-2001	0
2001-2002	0
2002-2003	231182.53
2003-2004	141213.75
2004-2005	0
2005-2006	318617.34
2006-2007	638137.68
2007-2008	470665.00

(9) 'सोसायटी' द्वारा किए गए उपरोक्त कथनों का खंडन नहीं किया गया है और एकमात्र बचाव यह है कि 'सोसाइटी' ने रिमांड आदेश से पहले अपील के साथ दायर अपने आवेदन में निर्धारित राशि का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की थी।

(10) समान परिस्थितियों में इस न्यायालय ने साधु ओवरसीज बनाम हरियाणा राज्य, और रट्टी वूलन मिल्स बनाम पंजाब राज्य के मामले में धनवापसी रोकने के आदेश को रद्द कर दिया है। यह बताना उचित होगा कि करोड़ों की भारी राशि के रिफंड को रोकने के आदेश को यांत्रिक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए और अधिनियम के तहत काम करने वाले अधिकारियों को यह संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है कि जिन उद्यमियों के पास सीमित तरलता है, उन्हें अपने व्यावसायिक उद्यम में नुकसान होने की संभावना है। यदि व्यावसायिक उद्यम स्थिर हो जाता है तो यह राजस्व के हित को आगे नहीं बढ़ाता है क्योंकि जब एक उद्यमी का व्यवसाय बंद हो जाता है तो राज्य राजस्व अर्जित करना बंद कर देगा। यदि उपरोक्त तर्क को ध्यान में रखा जाए तो राज्य के अधिकारियों को बेहतर सलाह दी जाएगी। धनवापसी रोकने का आदेश पारित करते समय एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

(11) मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि के भुगतान को माफ करने और निर्धारित राशि जमा करने की आवश्यकता का अनुपालन किए बिना अपील की सुनवाई के लिए दायर अपने आवेदन में 'सोसायटी' द्वारा लिए गए रुख का उल्लेख करते हुए विद्वान राज्य के वकील का तर्क हमें प्रभावित करने में विफल रहा है क्योंकि उपरोक्त कारण पहली बार 28 अप्रैल, 2006 के आक्षेपित आदेश का आधार नहीं बनाते हैं। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आदेश में दिए गए आदेश के अलावा किसी अन्य आधार पर आदेश को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उस संबंध में मोहिंदर सिंह गिल बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है। इसके अलावा 'सोसायटी' द्वारा किए गए वित्तीय कठोरता के उपरोक्त दावे को न तो अपीलीय प्राधिकरण द्वारा या न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया था जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा में पहले ही देखा जा चुका है। यहां तक कि इस अदालत ने भी वित्तीय सख्ती का अनुरोध करते हुए उनके दावे को खारिज कर दिया है। इसलिए, हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उठाया गया तर्क पूरी तरह से असमर्थनीय है और हमें इसे अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है।



(12) उपर्युक्त कारणों से यह याचिका सफल होती है। 28 अप्रैल, 2006 के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। प्रत्यर्थियों को निर्धारिती-सोसायटी को ब्याज सहित निर्धारण वर्ष 2002-2003 के संबंध में 4,32,21,206 रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया जाता है। निर्धारिती 'सोसायटी' को निर्धारण वर्ष 2002-2003 के संबंध में रिफंड के विलंबित भुगतान पर वैधानिक ब्याज का हकदार माना गया है। ब्याज की गणना विलंब के पहले महीने के लिए देरी के संबंध में 12 प्रतिशत वार्षिक की वैधानिक दर पर और बाद के महीनों के लिए देरी के संबंध में 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर की जाएगी। तथापि, 'सोसायटी' अपीलीय प्राधिकरण द्वारा रिमांड के बाद निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष लंबित मूल्यांकन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देने में सहयोग करेगी।

**अस्वीकरण :** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

**कार्तिक शर्मा, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**(Trainee Judicial Officer) नूँह, हरियाणा**

---